


शर

30/5/23 पत्रावली पेश हुई। अनुभाग पत्रावली अनु०।
पत्रावली का अपलोडिंग किया गया। न्यायालय द्वारा बार-बार
आदेशों के क्रम में जाने के उपरान्त भी वकील द्वारा दि० 21/10/20
से आज दिनांक तक प्रतिवादी गण की तहसीबी नहीं कतवाई गयी
अतः दावा 09 R-2 / 09 R-5 में खारिज किया जाता है। अतः
पत्रावली केवल श्रुति नम्बर से कम है। वाद पूर्ण दारिद्र्य
दफ्तर है। अनुभाग गण।


सहायक कलेक्टर
बहराड़ (अलवर) राज.